



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 6 अक्टूबर, 2021

आश्विन 14, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-4

संख्या 2528 ख/छः-पु-4-2021-02(90)-बी-2021
लखनऊ, 6 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

प0आ0-332

चूँकि राज्यपाल की यह राय है कि दिनांक 3 अक्टूबर, 2021 को जनपद-लखीमपुर खीरी में 08 व्यक्तियों की हुई मृत्यु की सम्पूर्ण घटना से संबंधित लोक महत्व के विषय की जाँच आयोजित करना आवश्यक है।

2-अतएव, अब, जाँच आयोग अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 60 सन् 1952) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, न्यायमूर्ति मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (सेवानिवृत्त) श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को एकल सदस्यीय जाँच आयोग, जिसका मुख्यालय लखीमपुर खीरी में होगा, के रूप में नियुक्त करती हैं।

3-चूँकि, राज्यपाल की राय है कि, की जाने वाली जाँच की प्रकृति और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक है, अतः राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन यह निदेश देती हैं कि उक्त धारा 5 की उपधारा (2), (3), (4) और (5) के उपबन्ध आयोग पर लागू होंगे।

4-आयोग, इस अधिसूचना के जारी किये जाने के दिनांक से 02 मास की अवधि के भीतर अपनी जाँच पूरी करेगा। इसकी अवधि में किसी प्रकार का परिवर्तन, शासन की ओर से किया जायेगा।

आज्ञा से,

अवनीश कुमार अवस्थी,

अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2528 kha/chha-pu-4-2021-02(90)-B-2021, dated October 6, 2021:

No. 2528 kha/chha-pu-4-2021-02(90)-B-2021

Dated Lucknow, October 6, 2021

WHEREAS the Governor is of the opinion that it is necessary to hold an enquiry with regard to matter of public importance regarding the entire incident of death of 08 persons in Lakhimpur Kheri District on dated 3 October, 2021.

2. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Enquiry Act, 1952 (Act no. 60 of 1952), the Governor is pleased to appoint Justice High Court, Allahabad (Retd.) Shri Pradeep Kumar Srivastava as a single member Commission of Enquiry with Headquarters at Lakhimpur Kheri.

3. The Governor, being of the opinion that having regard to the nature of the Enquiry to be made and other circumstances of the case, it is necessary so to do, is further pleased to direct under sub-section (1) of section 5 of the said Act, that the provisions of sub-section (2), (3), (4) and (5) of section 5 shall apply to the Commission.

4. The Commission shall complete the enquiry within a period of two months from the date of the issue of this notification. Any change in its tenure shall be at the behest of the Government.

By order,
AWANISH KUMAR AWASTHI,
Apar Mukhya Sachiv.